टी.एन. गोडावरमन थिरुमुलपद

बनाम

भारत संघ और अन्य

आई.ए. संख्या 826 आदि

में

(रिट याचिका सं. 202/1955)

मई 9, 2008

[के.जी. बालाकृष्णन, सीजेआई, डॉ अरिजीत पसायत और एस.एच. कपाड़िया, जेजे]

धारा 3(3)-पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 : केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति - वन क्षेत्र में गैर-वन प्रयोजन के लिए विकासात्मक गतिविधियों के लिए छूट चाही गई - शुद्ध वर्तमान मूल्य का भुगतान- उच्चतम न्यायालय का आदेश दिनांक 28.3.2008 - पृष्ठ 10 और 11 पर टंकण संबंधी गलतियों का संशोधन – अभिनिर्धारितः आदेश के पृष्ठ 10 और 11 हस्तगत आदेश में दर्शित अनुसार प्रतिस्थापित हो जाएंगे - छूट के लिए सिफारिश तदनुसार स्वीकृत की गयी-यदि, किसी मामले में, मामले की विशिष्ट परिस्थितियों की प्रकृति के अनुसार छूट अपेक्षित है, तो इसका निर्णय प्रत्येक मामले में आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा।

टी.एन. गोडावरमन थिरुमुलपद बनाम भारत संघ और अन्य [2008] 6 एससीआर 321- अस्वीकार कर दिया गया

आई.ए. सं. 566 में 826 साथ 566 में 955, 958, 985, 1001-1001ए, 1013-14, 1016-1018, 1019, 1046, 1047, 1135-1136, 1164, 1180-1181, 1182-1183, 1196, 1208-1209, 1222-1223, 1224-1225, 1229, 1135-1136 में 1233, 1248-

1249, 1253, 1301, 1302, 1303-1304, 1312, 1313, 1314, 1318, 1137 में 1319, 1325, 1364, 1365-1366, 1370-1370ए, 1371, 1384, 1385-1386, 1387, 1434, 1435-1437, 1438, 1634 में 1441, 1475-1476, 1513, 1573, औई.ए. 566 में 1135-1136 में 1639, 1664, 1665, 1671, 1676, 1707, 1721, 566 में 1164 में 1779, औई.ए. सं.1441 में 1785-1786, 1980-1981, 1993, 2013, 2074-2076, 1441 में 2077-2078 और 1135-1136 में 1233 में 2098, 2145-2146, 2147-2148, 2149-2150 और 2153- 2154, डब्ल्यू.पी. (सी) सं. 202/1995 में आई.ए. 566 में

उपस्थित पक्षकारान की ओर से जी.ई. वाहनवती, एस.जी., ए. शरण, एएसजी, हर्ष, एन. साल्वे,उदय यू. ललित, टी.एस. दोआबिया, रंजीत कुमार, के.के. वेणुगोपाल, मुकुल रोहतगी, पी.एस. पटवालिया, अल्ताफ अहमद, बी.ए. मोहता, एस.बी. उपाध्याय, रंजीत कुमार, डॉ, राजीव धवन, राजेश (के. राजीव के लिए), ए.वी. सावंत, अनिल दीवान, सिद्धार्थ चौधरी, ए.डी.एन. राव, पी.के. मनोहर, शकुन शर्मा, रुक्मिणी बोबडे, हैरिस बीरन, रेखा पांडे, अल्का शर्मा, डी.डी. कामत, ए. मारिऔरपुथम, पी. परमेस्वरन, अंबिका दास, सुनीलरॉय (डी.एस. मेहरा के लिए), आशा जी. नायर (डी.एस. मेहरा के लिए), अनिप सचथे, मोहित पॉल, संजय और. हेगड़े, ए. रोहेन सिंह. अमित कुमार चावला, मनोहर लाल शर्मा, राजगोपाल एन. (देबासिस मिश्रा के लिए), अरविंद कुमार शर्मा, सौरभ मिश्रा,एस.डब्ल्यू. ए. कादरी, बी.के. प्रसाद, अनुराधा दत्ता, विजयलक्ष्मी मेनन, नवीन कुमार सिंह, शाश्वत गुप्ता, (के लिए अरुणेश्वर गुप्ता, एएजी), सुनील डोगरा, एस.यू.के. सागर, बीना माधवन (मेसर्स लॉयर्स निट एंड कं. के लिए), अजय शर्मा, सुश्री तसलीम अहमदी, और.एस. जेना, सुश्री निधि मिनोचा, आदेश शर्मा, राजेश श्रीवास्तव, अनुराग शर्मा, सुश्री रत्ना कौल, प्रशांत कुमार (मैसर्स एपीजे चैम्बर्स के लिए), मंजीत सिंह, टी.वी. जार्ज, ध्रुव मेहता, हर्षवर्धन झा, यशराज एस.देवड़ा, गुलशन शर्मा (मैसर्स के.एल. मेहता एण्ड कम्पनी के लिए), सतिन्द्र एस.गुलाटी, कमलदीप गुलाटी,

अमनप्रीतसिंह राही, एम.एल.लाहोटी,विकास महाजन, डी.बी. वोहरा, अरुणा गुप्ता, सुमिता हजारिका, एस.सी. पटेल, पी. परमेस्वरन, जे.टी. गिल्डा, मनीष पिटाले (सी.एस. आशरी के लिए), नीरज मल्होत्रा. निखिल नय्यर, अंकित सिंघल, टी.वी.एस. राघवेंद्र श्रेयस, अनीशा उपाध्याय, शिव मंगल शर्मा (शर्मिला उपाध्याय के लिए), राजेश और. दुबे, संतोष मिश्रा, अनीशा उपाध्याय, सी.पी. शर्मा, गीता शर्मा, संतोष सिंह, बी.एस. बंथिया, विकास उपाध्याय, विवेक गुप्ता, शाकेत अग्रवाल, आशीष ढोलकिया, आदर्श प्रियदर्शिनी, एस. सुकुमारन, राजेश (के. राजीव के लिए), अरुणा गुप्ता, सुमिता हजारिका, अमित पुद्दुसेरी, जी. प्रकाश, उमापथि. एन.एम. पोपली, ए. सुभाशिनी, अनिल कुमार झा, रानी छावड़ा (मेसर्स खेतान एंड कंपनी के लिए), ए. रोहेन सिंह, अमित कुमार चावला, केएच नोबिन सिंह, मोमता ओइनाम (मेसर्स कॉर्पोरेट लॉ ग्रुप के लिए), के.एन. मधुसूदनन, और. सथिश, अनिल श्रीवास्तव, रितु राज, गोपाल सिंह, हरीश कुमार पूरी, अनिल कटियार, अभिजीत पी-मेध, अनिल नाग. नरेश कुमार. ए.के. सिन्हा, चिराग, एम. श्रॉफ अजय पाल, राज कुमार मेहता. म्रगांग., एम. नलिनी पाल, विष्णु बी. सहारिया (मैसर्स सहारिया एंड कंपनी के लिए), बी.पी. सिंह, संजीव कुमार सरला चंद्र, मुकेश कुमार गिरि अजीत कुमार सिन्हा, अंभोज कुमार सिन्हा, हिमिंदर लाल, अनिस सुहरावदी, वी.बी. जोशी, कैलाश पांडे, शुचि सिंह, के. वी॰ विश्वनाथन, बी. रघुनाथ, विजय कुमार, जयंत मोहन, राहुल प्रताप (डॉ. कैलाश चंद के लिए), विजय पंजवानी, पल्लव सिसोदिया, और.ए. मलंदर, एस.सी. पटेल, सुभाशीष भौमिक, तेजस पटेल, अखिल सिबल, कृष्णा, और.एन. करंजावाला, माणिक करंजावाला, नंदिनी गोरे, देबमाल्या बनर्जी, सोनिया निगम, हेमंतिका वाही, पिंकी, जेसल।

न्यायालय का आदेश सुनाया गया।

28 मार्च, 2008, को हमने एक आदेश सीईसी द्वारा की गयी सिफारिशों को स्वीकार करते हुए, शुद्ध वर्तमान मुल्य (एनपीवी) के भुगतान के संदर्भ में पारित किया

था, जो कमोबेश एमऔईएफ को स्वीकार्य था। उस आदेश में हमने यह भी सूचित किया था कि एनपीवी के भुगतान से छूट विशिष्ट श्रेणियों को अनुदत्त की गयी है। यद्यपि, यह हमारे ध्यान में लाया गया है कि उस आदेश में जिन श्रेणियों के बारे में एसी छूट अनुदत्त की गयी थी, उनमें कुछ टंकण गलतियां हो गयी है। इस कारण, हम यह निर्देश देते है कि एनपीवी के भुगतान से छूट के संबंध में उस आदेश के अन्तिम भाग में पृष्ठ 10 से 11 में ''हमारा विचार है कि ....(x) पारेषण लाईनों का निर्माण '' निम्नलिखित के साथ

प्रतिस्थापित होकर पढ़ा जाएगा;

श्रेणी	सीईसी
i) विद्यालय ii) अस्पताल iii) बच्चों के गैर वाणिज्यक प्रकृति के खेल का मैदान iv) ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक केन्द्र iv) ओवर-हैड-टेंक vi) ग्रामीण तालाब	एक हे. तक वन भूमि पर पूर्ण छूट, परन्तु (a) पेड़ों को गिराना शामिल नहीं है; (b) वैकल्पिक वन भूमि उपलब्ध नहीं है; (c) परियोजना गैर-वाणिज्यिक प्रकृति की है
vii) 4 डाया मीटर तक की भूमिगत पेयजल पाईप लाईन बिछाना और viii) ग्रामीण क्षेत्रों में 22 केवी तक की विद्युत वितरण लाईन	और सरकार की परियोजना व गैर परियोजना का हिस्सा है; और (d) राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य से बाहर का क्षेत्र है।

ग्रामें का राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य से वैकल्पिक वन भूमि पर पुनर्वास	पूर्ण छूट
वनक्षेत्र में नदी क्षेत्र से पत्थर/गाद का संग्रह	पूर्ण छूट परन्तु ; (a) क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य से बाहर है; (b) इस क्षेत्र के संबंध में कोई खनन पटटा अनुमोदित एवं हस्ताक्षरित नहीं है; (c) कार्य जिसमें विभागीय तौर पर या सरकार के उपक्रम या और्थिक विकास समिति या संयुक्त वन प्रबन्धन समिति के माध्यम से पत्थर/गाद की बिक्री किया जाना शामिल है। (d) वनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए आवश्यक गतिविधियां; और (e) बिक्री आय का उपयोग वनों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए किया जाना
भूमिगत आप्टिकल फाईबर केबल बिछाना	पूर्ण छूट परन्तु; (a) पेड़ों को गिराना शामिल नहीं है; और (b) क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य से बाहर है
1980 से पूर्व के वन्य ग्रामों के अतिक्रमण और सम्परिवर्तन का राजस्व ग्रामों में नियमितिकरण भूमिगत खनन	पूर्ण छूट परन्तु यह कठोरता से एमऔईएफ के दिशा-निर्देश दिनांक 18.09.1990 के अनुसार है।

भूमिगत खनन	सम्पूर्ण क्षेत्र के एनपीवी का 50 प्रतिशत

छूट के लिए उपरोक्त सिफारिशें स्वीकार की जाती है। यदि, किसी मामले में,

मामले की विशिष्ट परिस्थितियों की प्रकृति के अनुसार छूट अपेक्षित है, तो इसका निर्णय प्रत्येक मामले में आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा।

आर.पी. आई.ए. निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अरविन्द कुमार जांगिड़ (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।